ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 343-345

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना : एक परिचय

प्रमोद कुमार चौरसिया
प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राम गिरीश राय पी0 जी0 कालेज दुबौली, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत।

Received- 24.11.2019, Revised- 28.11.2019, Accepted - 03.12.2019 E-mail: - drbrajeshkumarpandey@gmail.com

सारांश : *संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित निर्देशात्मक सिद्धान्तों में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। परन्तु कठिन प्रयासों के बाद भी 6 –11 वर्ष के समूह में 37 प्रतिशत बच्चें ही स्कूल जाते हैं। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि संविधान के निर्देश पुरे नहीं हुए हैं और यह पुरजोर माँग होती रही है कि केंद्र व राज्य सरकारें जल्दी शत प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास करें। शिक्षा आयोग ने इस माँग का जोरदार समर्थन किया है कि सरकार संवैधानिक निर्देश को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें इसलिए नहीं कि निःशुल्क व सभी को शिक्षित करना केवल सामाजिक न्याय व प्रजातंत्र लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए भी कि उससे मध्यम कर्मी की सक्षमता में वृद्धि है और राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ती है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की विशेष महत्ता हो जाती है।*

कुंजीभूत शब्द– वैष्णव भक्ति, सगुणात्मक, विग्रह, कल्पना, नीलोत्पल वर्ण, चतुर्भुजधारी, पुण्डरीकाक्ष, अंधकार।

दुर्भाग्यवश प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का 56 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया था, वहीं पर सातवीं पचवर्षीय योजना में यह राशि घटकर 29 प्रतिशत रह गयी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी स्तर पर भी प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पर जो धनराशि खर्च की जा रही है उसमें से 95 प्रतिशत धनराशि तो अध्यापकों के वेतन पर खर्च होती है और शेष धनराशि तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तथा भवन निर्माण एवं अन्य आवश्यक व्यय आदि पर खर्च किया जाता है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का संचालन उन विकास खण्डों में किया जा रहा है। जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड है अर्थात जिनकी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरतादर से कम एवं शिक्षा में जेण्डर गैप राष्ट्रीय जेण्डर गैप से अधिक है। इन विद्यालाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा के नीचे की उन बालिकाओं को प्रवेश दिया जायेगा, जो कभी विद्यालय नहीं गयी है अथवा शालात्यागी है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को संचालित करने के लिए शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है आगे दिया जा रहा है .

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के नियमों को लागू करने हेतु निर्देश–

1. पृष्ठभूमि: भारत सरकार ने एक नयी योजना स्वी.ति की है, जिसे कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कहा जाता है। इसके तहत 750 आवासीय विद्यालयों को स्थापित किया जायेगा। जिसमें प्राथमिक स्तर पर उन लड़कियों को स्थापित किया जायेगा। जिसमें प्राथमिक स्तर पर उन लड़कियों के लिए जो विशेषतः एस.सी., एस. टी., ओ.बी.सी, और अल्पसंख्यक समुदाय की है, की शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह योजना प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, सर्वशिक्षा अभियान, एन.पी.ई.जी.ई.एल. और महिला समाख्या द्वारा समन्वित एवं क्रियान्वित किया गया जाएगा।

2. योजना का कार्यक्षेत्र– यह योजना केवल उन चिन्हित शैक्षिक पिछड़े ब्लाकों में लागू होगी जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत और लिंगानुपात से नीचे हो। इन ब्लाकों में विद्यालओं को निम्न शर्तों के साथ स्तापित किया जा सकता है– अनुसूचित जनजाति जनसँख्या, अल्प महिला साक्षरता के साथ का केंद्रीयकरण अथवा असंख्य लड़कियां जो विद्यालयों से दूर है पर ध्यान केन्द्रित करना।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की जनसँख्या जहाँ अल्प महिला साक्षरता दर है, पर ध्यान केन्द्रित करना या असंख्य लड़कियाँ जो विद्यालयों से दूर है पर ध्यान केन्द्रित करना। वे क्षेत्र जहाँ अल्पमहिला साक्षरता है या वे क्षेत्र जहाँ असंख्य छोटे–छोटे बिखरे हुए निवास या निवासियों का स्थान है। जो एक विद्यालय की गुणवत्ता को

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

नहीं बनाये रखते है, को चिन्हित करना। शैक्षिक पिछड़े ब्लाक की निर्धारण एवं पात्रता की श्रेणी बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सर्वशिक्षा अभियान की तरह ही होगी।

3. उद्देश्यः लिंग विभेद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों और लाभरहित समुदायों में व्याप्त है। नामांकन प्रवृति को . ष्टिगत करते हुए, वहाँ प्राथमिक स्तर पर (विशेषतः उच्च प्राथमिक कक्षाओं के) पर लड़कों की तुलना में लड़कियों के नामांकन में बहुत लम्बा गैप परिलक्षित होता है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर समाज के लाभरहित समूहों के लड़कियों के आवासीय विद्यालयों को स्थापित करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

4. रणनीतिः 500 (पाँच सौ) से 750 (सात सौ पचास) के बीच आवासीय विद्यालय दसवीं योजना तक खोले जायेगें। जिसकी अनुमानित लागत 19.05 लाख रूपये है और गैर– अनुमानित लागत प्रति विद्यालय 26.25 रूपये है। आंतरिक रूप से, प्रस्तावित विद्यालय किराये के भवन या अन्य सरकारी भवनों में स्थानीय क्षेत्र के निर्णयन के पश्चात् खोले जायेगें। इस प्रकार के आवासीय विद्यालय केवल उन पिछड़े विकासखण्ड में स्थापित किये जायेगे जिनके पास आवासीय विद्यालय लड़कियों के प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका निर्धारण सर्वशिक्षा अभियान के तहत जिला स्तर पर अधि.त किये जायेगें।

5. योजना के घटक निम्नवत होंगे : आवासीय विद्यालयों को स्थापित करना जहाँ कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय की 50 लड़कियॉ विद्यालय में अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध है। तीन सम्भावित नमूने इस प्रकार के लिए चिन्हित किये गये है और अनुबन्ध 1(अ) से 1(स) में दिये गये है –

1. इन विद्यालयों के लिए आवश्यक संरचनात्मक प्रदान करना।
2. इन विद्यालयों के लिए अधिगम शिक्षण मैटेरियल तैयार करना एवं
   लागू करवाना।
3. आवश्यक एकेडमिक स्पोर्ट एवं मूल्यांकन के साथ–साथ प्रशासनिक ढांचा को तैयार करना एवं उसके लिए प्रेरित करना।

प्राथमिक स्तर पर,पुराने बालिकाओं पर जोर दिया जाएगा जो अभी भी विद्यालयों से दूर है और जो प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने में असमर्थ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उन लड़कियों को वरीयता दी जाएगी जो विशेष तौर पर वयस्क है तथा नियमित विद्यालय जाने में असमर्थ है।

6. लागू करना, निर्देशित करना और मूल्यांकन करनाः योजना को राज्य सरकार द्वारा महिला समाख्या समाज के तहत लागू किया जायेगा। कोष को सर्वशिक्षा अभियान के तहत निर्गत किया जायेगा। निर्देशन एवं मूल्यांकन जिला एवं राज्य स्तर पर एम. एस. राज्य स्रोत केन्द्र द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। और गैर एम. एस राज्यों में शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शैक्षिक प्रशिक्षक विकसखण्ड संसाधन केंद्र के जिला संस्थान एवं महिला सामख्या संसाधन द्वारा किया जाएगा।

7. राज्य सहकारी समूहः एन.पी.ई.जी.ई योजना के तहत एक सलाहकारी राज्य स्तरीय समिति दिशा और सहयोग को इस कार्यक्रम के लिए प्रदान करेगी। इस समूह में समतुल्य राज्य के नामिनी, भारत सरकार, बालिका शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

8. राष्ट्रीय सहकारी समूहः राष्ट्रीय स्तर पर महिला सामख्या कायर्क्रम के अधीन बनाये गये राष्ट्रीय संसाधन समूह अवधारणात्मक मुददो पर इनपुट प्रदान करने के साथ ही साथ इस कार्यक्रम की उन्नति से जुड़े मुददो पर चर्चा करेंगे और भारत सरकार को नीतिगत मामलों में मदद करेगें। यह समूह शोध की गुणवत्ता और प्रशिक्षण संस्थानों, नारी आंदोलन, शिक्षाशास्त्रियों गैर सरकारी संस्थानों से भी अवगत करायेंगे बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु अन्य अनुभवों को भी समीप लायेंगे।

9. विधि : जिला समिति के सिफारिश पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा लड़कियों की संख्या के आधार पर और आवासीय विद्यालय की प्र.ति एवं प्रकार के आधार पर विद्यालय के नमूने का चयन किया जायेगा। प्रस्ताव के राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसारित किया जायेगा जो बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से स्वीकार्य होगा। अंत में, सर्व शिक्षा अभियान के स्वी.ति प्रदान की जाएगी।

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए वित्तीय मानक : दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वशिक्षा अभियान में वित्त का समावेशन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में निर्धारित किया भारत सरकार सीधे सर्वशिक्षा अभियान के राज्य कार्यान्वयन समाज को धन निर्गत करती है। राज्य सरकार भी इस संस्था को धन निर्गत करती है। उसके पश्चात् धन जहाँ लागु होता है, वहाँ महिला सामख्या समाज को निर्गत करती है।

राज्य सरकार को इसके लिए एक पृथक बचत

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

संख्या किसी राष्ट्रीय.त बैंक में खुलवाना चाहिए ताकि कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के धन को क्रियान्वित किया सके। पृथक एकाउण्ट संख्या को जिला और उप जिला स्तर पर बनाया रखा जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली : सबके लिए शिक्षा –– भारत आकलन वर्ष 2000
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली,1986 द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति
3. राज्य परियोजना कार्यालय, उ०प्र०, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्विद्याभवन, निशान्तगंज ,लखनऊ : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय : योजना के अंतर्गत जनपदों को प्रेषित महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन
4. शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबादः शिक्षा की प्रगति– उत्तर प्रदेश वर्ष 2001–02, 2002–03
5. प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली–110001 : बालिका केन्द्रित शिक्षा डी०पी०ई०पी० में लड़कियों की शिक्षा के लिए

*****